

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29 अगस्त, 2025

**जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता तथा बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएमएस
(Electronically Transmitted Postal Ballot Management System) कोषांग के नोडल
पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न**

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार श्री विनोद सिंह गुंजियाल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को विभागीय सभागार में जिला स्तरीय आदर्श आचार संहिता तथा बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएमएस कोषांग के नोडल पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में नोडल पदाधिकारियों को प्रेस नोट, अधिसूचना, राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने, वाहनों का परिचालन, प्रचार-प्रसार, पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन, संपत्ति विरूपण अधिनियम, लाउडस्पीकर एक्ट, आर.पी. एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय संहिता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दूसरे सत्र में बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएमएस (Electronically Transmitted Postal Ballot Management System) के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान श्री माधव कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री रत्नांबर निलय, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्रीमती निवेदिता सिन्हा, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं श्री मनीष कुमार, सिस्टम एनालिस्ट द्वारा आयोग के निर्देशों, नवीन प्रावधानों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि जिला स्तर पर निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं सुचारु रूप से संपन्न कराया जा सके। प्रशिक्षण में सभी 38 जिलों के नोडल पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
